कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– उनि/स शि/SIQE/ DCG/2015–16/246–247 दिनांक 12|10|15

समस्त मण्डल उप निदेशक – माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक माध्यमिक शिक्षा
समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा
एवं समस्त संस्था प्रधान रामावि/राउमावि

विषय–SIQE परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर योगात्मक आंकलन सम्पादन एवं दर्ज करने हेतु दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत समन्वित रामावि/राउमावि की प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 2015–16 से स्टेट इनिशियेटिव फॉर क्वालिटी एजूकेशन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सामयिक जाँच, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के स्थान पर सतत् एवं व्यापक आकलन प्रणाली से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। इसमें पाठ्यक्रम को चार टर्मों में विभाजित कर प्रत्येक टर्म का योगात्मक आकलन कर सतत् एवं व्यापक अभिलेख पंजिका में प्रत्येक विद्यार्थी से संबधित चार टर्मो का विवरण दर्ज किया जाए। योगात्मक आकलन निम्नांकित समय अवधि में संपादित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रथम योगात्मक आकलन	द्वितीय योगात्मक आकलन	तृतीय योगात्मक आकलन	चतुर्थ योगात्मक आकलन
1 से 10 सितम्बर 2015	5 से 15 नवम्बर 2015	16 से 25 जनवरी 2016	16 से 25 मार्च 2016

1. योगात्मक आकलन में, रचनात्मक आकलन की चैकलिस्ट में दर्ज ग्रेड, पोर्टफोलियों में अंकित टिप्पणियॉं, स्वयं की अनुभव डायरी में दर्ज आकलन एवं पेपर–पेन्सिल टेस्ट के आधार पर समेकित ग्रेड दिया जाये।
2. योगात्मक आकलन के लिए विद्यार्थी को दिये जाने वाले प्रश्न पत्र में सम्बन्धित कक्षा के अलावा नीचे की कक्षास्तर के प्रश्न भी सम्मिलित किये जायें ताकि विद्यार्थयों के वास्तविक कक्षा स्तर की जांच हो सकें। उदाहरणार्थ – यदि कक्षा 5 में कक्षा 2, 3, 4, 5 कक्षा स्तर के विद्यार्थी हों तो नामांकित कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थिओं के लिए निर्धारित बुनियादी कौशलों पर आधारित प्रश्नपत्र तैयार करें।
3. प्रश्न पत्र प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षक एक प्रति तैयार कर आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी बनवा लें। इसका व्यय नियमानुसार विद्यार्थी कोष/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) द्वारा किया जाए।
4. निर्धारित अवधि में अगर कोई विद्यार्थी किसी कारण से अनुपस्थित रहा है तो उसका आकलन उपस्थित होने पर किया जाये।
5. संस्था प्रधान इस सारी प्रक्रिया में विषय अध्यापकों का सहयोग करें एवं सुनिश्चित करें कि योगात्मक आकलन दिये गये निर्देशों, मानदण्डों,एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही सम्पादित हुआ है।
6. योगात्मक आकलन की समस्त प्रक्रिया स्रोत पुस्तिका में दी गयी हैं। तदअनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

स्मरण रहे, स्टेट इनिशियेटिव फॉर क्वालिटी एजूकेशन कार्यक्रम राज्य सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका सतत् प्रबोधन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से किया जा रहा है। अतः प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है, कि विद्यालय स्तर पर इसकी प्रत्येक गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समय पर संपादित की जाये।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा संस्था प्रधानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर, योगात्मक आकलन की ऑन लाइन फीडिंग सुनिश्चित करे।

उचित होगा कि जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली संस्था प्रधानों की कार्यशालाओं/ बैठकों में इस बाबत जानकारी उपलब्ध करवाई जाये। इन दिशा निर्देशों का अवलोकन विभागीय साइट पर किया जा सकता है।

10/10

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक एस.आई.ई.आर.टी उदयपुर।
4. उपनिदेशक माध्यमिक कार्यालय हाजा।
5. शिक्षा विशेषज्ञ युनिसेफ।
6. निदेशक बोध शिक्षा समिति जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. एम.आई.एस. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर को रमसा की वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
9. कार्यालय प्रति।

10/10

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर